छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार,दिनांक 24 जुलाई, 2024 (श्रावण 2,1946)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023–2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2022–2023 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री रामविचार नेताम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सोलहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 (दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) पटल पर रखेंगे।

(4) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 पटल पर रखेंगी।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ के ग्राम कोसीर एवं गाताडीह में सहकारी सोसायटी में व्याप्त अनियमितता की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(2) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के राशन की अफरा–तफरी किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री रोहित साहू, सदस्य, तीर्थ नगरी राजिम में बस स्टैण्ड निर्माण कार्य लम्बित होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम भेरवा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम ककेडी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम पथरगढ़ी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) नगर पंचायत अर्जुन्दा में संचालित अनुसूचित जनजाति प्री–मैट्रिक छात्रावास का उन्नयन अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में करने,

(ii) नगर पंचायत अर्जुन्दा में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रारंभ करने,

(iii) ग्राम चौरेल में महाविद्यालय प्रारंभ करने,

(iv) ग्राम पिनकापार में महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा

(v) ग्राम राहुद में महाविद्यालय प्रारंभ करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय
1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये बेहतर उपाय के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 23 जुलाई, 2024